

2021

राजस्वभाग शाखा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (राजकोष अधिकारी लोक अदालत/केस कोर्ट) कैरा।

आदेश :

सर्वेक्षण के लिए पत्र संख्या 335 व पृ.अ.नि. 335

की विधि तथा सहस्रीलदा 335 / सयम सहस्रीलदा की अनुज्ञा के आधार

व राजकोष व राजस्व अधिनियम 1922 की धारा 136 के अनुसरण में प्राप्त तहसील 335 व

दिनांक 335 को सहायक सयम 2074-2077 में छाता संख्या में वर्तमान में

एक प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में सुदृष्टि जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	छाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अनुज्ञ प्रविष्टि)	आदेश (सुदृष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	राणी पारोरी	81, 70	सुदृष्टि 50	
2.	राणी काली	70	इरदेवा	सुदृष्टि 50
3.	राणी काली	70	सुदृष्टि 50 इरदेवा	50 इरदेवा 20

(Handwritten Signature)
 प्रथम पीठिसीन अधिकारी
 पंच लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक 109

दिनांक :- 7/6/22

प्रतिनिधि

1. सहस्रीलदा 335 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर भालना रिपोर्ट भिजावाए।

2. प्राची श्री को सूचनार्थ।

3. रविंद्र पञ्जावली।

(Handwritten Signature)
 प्रथम पीठिसीन अधिकारी
 पंच लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
 राजकोष, कायानगर, 2074